दिनाक 18.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–18/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 चार पहिया वाहन,**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.02.2021 की रात्रि थाना नानौता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जधेडी पुल के पास कार सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शाबिर घायल हो गया, जिसे 2–साजील सहितं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 01 चार पहिया वाहन, 01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शाबिर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली व सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त शाबिर जनपद शामली से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—शाबिर निवासी टिगरी रामगढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

2—साजिल निवासी टिगरी रामगढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः—

1—01 चार पहिया वाहन,

2—01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 30 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.02.2021 की सायं थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भोपा बाईपास पुल के नीचे बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पंकज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 30 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गयी थी,

जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर मु0अ0सं0–53/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –:

पंकज निवासी मोहल्ला मनोहर पट्टी कस्बा व थाना दौराला जनपद मेरठ।

बरामदगी–:

1–लूट के 30 हजार रूपये नगद,

2–घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल,

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद औरैया /थाना फफूंद

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के सोने व चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.02.2021 को थाना फफूंद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त विजय घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के 02 हार, 02 कुण्डल, 01 मॉगबेदी, चॉदी के 525 ग्राम के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनॉकः 13.02.2021 को थाना फफूंद क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गयी थी। उक्त अभियोग में अभियुक्त वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी

के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे ंथाना फफूंद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –:

विजय निवासी पूर्वा चन्देल थाना अजीतमल जनपद औरैया।

बरामदगी–:

1–लूट के सोने के 02 हार, 02 कुण्डल, 01 मॉगबेदी।

2–चॉदी के 525 ग्राम के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 05 हजार रूपये नगद,**
- **02 पहचान पत्र,**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 17.02.2021 की सायं थाना नौहझील पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माइलस्टोन 60 यमुना एक्सप्रेस–वे के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही के दौरान 03 अभियुक्तों 1–फिरंगी उर्फ जितेन्द्र, 2–अमित 3–रामजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 हजार रूपये नगद, 02 पहचान पत्र, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त फिरंगी उर्फ जितेन्द्र के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त अमित व रामजीत के विरूद्ध लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉकः 17.02.2021 को यमुना एक्सप्रेस–वे पर लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद रूपये व पहचान पत्र उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौहझील पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–फिरंगी उर्फ जितेन्द्र निवासी संग्रामपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़।

2–अमित निवासी गढ़ी सामन्ता थाना नौहझील जनपद मथुरा।

3–रामजीत निवासी संग्रामपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी–:

1–लूट के 05 हजार रूपये नगद, 02 पहचान पत्र,

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद महराजगंज/थाना कोतवाली

- **बैंको में एकाउण्ट खोलवाकर फर्जी, कूटरचित दस्तावेजो व डिजिटल सिग्नेचर पेन्ड्राइव व आधर कार्ड की सहायता से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश,**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद,**
- **02 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, 01 स्केनर,**
- **01 करोड़ 19 लाख 93 हजार 400 रूपये के भरे हुये 232 चेक,**
- **37 डिजिटल सिग्नेचर पेन्ड्राइव अन्य कागजात उपकरण व आदि बरामद**

दिनॉकः 17.02.2021 को थाना कोतवाली, क्राइम ब्रान्च, साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारपुर तिराहे से 04 अभियुक्तो 1—भालेन्द 2—भागवत प्रसाद 3—ब्यासमुनि 4—शत्रुघ्न को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अपराध कारित कर अवैध धन 06 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद, अपराध में प्रयुक्त 02 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, 01 स्कैनर, 305 चेकबुक, व सिंगल चेक 297 जिसमें 01 करोड़ 19 लाख 93 हजार 500 रूपये के भरे हुये चेक (विभिन्न बैंक के विभिन्न शाखाओं के चेक बुक), 37 डिजिटल सिग्नेचर पेन्ड्राइव, 01 जीओ वाईफाई, 87 मोहर, 243 सिमकार्ड, 638 जनता के फोटो, आधार कार्ड 03 मूल , 651 छायाप्रति, 41 पासबुक मय आधार कार्ड छायाप्रति, 1380 मोनोग्राम, 11 सादा स्टैम्प, ए0टी0एम0कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा लोगों को पैसो का लालच देकर उनको किसान दिखाकर बैंको में एकाउण्ट खोलवाकर, कूट रचित दस्तावेजो, डिजिटल सिग्नेचर पेनड्राइव व आधार कार्ड आदि की सहायता से धोखाधड़ी कर भारी मात्रा में अवैध धन की उगाही करते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–भालेन्द निवासी ग्राम करमह टोला घुरठई थाना कोतवाली जनपद महराजगंज।

2–भागवत प्रसाद निवासी बल्लोखास थाना घुघली जनपद महराजगंज।

3–ब्यासमुनि निवासी बल्लोखास थाना घुघली जनपद महराजगंज।

4–शत्रुध्न निवासी बरवा विद्यापति थाना कोतवाली जनपद महराजगंज।

बरामदगी–ः

1–अपराध कारित कर अवैध धन 06 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद,

2–अपराध में प्रयुक्त 02 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, 01 स्कैनर,

3–305 चेकबुक, व सिंगल चेक 297 जिसमें 232 चेक कुल रूपये 01 करोड़ 19 लाख 93 हजार 500 रूपये भरे हुये (विभिन्न बैंक के विभिन्न शाखाओं के चेक बुक),

4–37 डिजिटल सिग्नेचर पेन्ड्राइव,

5–01 जीओ वाईफाई,

6–87 मोहर,

7–243 सिमकार्ड,

8–638 जनता के फोटो, आधार कार्ड 03 मूल , 651 छायाप्रति, 41 पासबुक मय आधार कार्ड छायाप्रति, 1380 मोनोग्राम, 11 सादा स्टैम्प, ए0टी0एम0कार्ड आदि।

साइबर काइमःफर्जी फोन पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपयों की ठगी करने वाला गिरफ्तार ।

साइबर अपराधो के अनावरण के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उ0प्र0 श्री राम कुमार के आदेशानुसार साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम प्रो0 त्रिवेणी सिंह के पर्यवेक्षण में फर्जी फोन पे कस्टमर केयर नंबर सर्विस के नाम पर

ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त को देवघर झारखण्ड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी है, अन्य सहअभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.10.2020 को वादी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री कृपा नरायण श्रीवास्तव निवासी डी–53, केशव बिहार, कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ ने फोन पे कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से धोखाधड़ी होकर करीब 5,00 ,000/– रू की शिकायती तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर मु0अ0स0 08/2020 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 66/66 सी आई0टी0 एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त मुकदमे की विवेचना में तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए अज्ञात अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की गयी। तो पता चला कि आवेदक से ठगी में प्रयोग किये गये रुपयों को पोस्ट ऑफिस कर्मी अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार अपने साथी अभियुक्त कुंदन कुमार दास की मदद से अपने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट पेमेंट बैंक के खातो में अन्य सहअभियुक्तों की मदद से ट्रान्सफर करवाता था, बैंक खातों में अपने मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कर मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर अपने व अपने परिवार के अकाउंटो में ट्रान्सफर कर निकाल लेता था । उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम लखनऊ की टीम द्वारा सहअभियुक्त सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू अंसारी लोगों से फर्जी फोन–पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर फोन करता था अभियुक्त ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं एवं अभियुक्त के पास से कई वैलेट व बैंक के एकाउंट नम्बर, एटीएम कार्ड , आधार कार्ड व अन्य आई0डी0 कार्ड के स्क्रीनशाट बरामद हुए हैं ।

अपराध करने का तरीकाः –

फर्जी फोन पे के कस्टमर केयर नंबर को गूगल पर ऐड के माध्यम से पब्लिक डोमेन में डलवाकर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को बरगलाकर एनी डेस्क , क्विक सपोर्ट साफ्टवेयर/ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड कराकर फर्जी खातों के माध्यम से लाखों की ठगी करना ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू अंसारी पुत्र राजन मियां निवासी ग्राम कैराबंक, थाना सारठ, जिला देवघर, झारखण्ड।

बरामदगी का विवरणः

- 01 अदद मोबाइल (सैमसंग गैलेक्सी M31)
- कई एकाउंट्स नंबर, वालेट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवालीनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी सरोज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

––––––